

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 23 / 2022

GCMS NO-2022/49

प्रार्थी
वेद प्रकाश, खाद्य सुरक्षा
अधिकारी, कार्यालय मुख्य बनाम
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जैसलमेर।

- अप्रार्थी
1. श्री गोविन्द व्यास पुत्र श्री घनश्याम व्यास उम्र 25 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी जसुसर के बाहर बीकानेर हाल निवासी कुम्हार पाडा पटवा हवेली के पास जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) मैसर्स महालक्ष्मी आइसक्रिम मलका पोल के पास जैसलमेर।
 2. श्री घनश्याम व्यास पुत्र श्री गोपाल लाल व्यास उम्र 53 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी जसुसर के बाहर बीकानेर हाल निवासी कुम्हार पाडा पटवा हवेली के पास जैसलमेर (मालिक) मैसर्स महालक्ष्मी आइसक्रिम मलका पोल के पास जैसलमेर।

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित :-

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकुन्दसिंह ।

:: निर्णय ::


दिनांक: 04.01.2023

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (11) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.06.2022 को दोपहर 04.00 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ मैसर्स महालक्ष्मी आइसक्रिम मलका पोल के पास जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मैसर्स महालक्ष्मी आइसक्रिम मलका पोल के पास जैसलमेर पर विक्रेता श्री गोविन्द व्यास पुत्र श्री घनश्याम व्यास उम्र 25 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी जसुसर के बाहर बीकानेर हाल निवासी कुम्हार पाडा पटवा हवेली के पास जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर कुल्फी फ्रीज डीप में रखी मिली जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात कुल्फी 1200 ग्राम नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 200 रुपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा कुल्फी को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा चारों शिशियों में 36-36 बुन्द फोर्मिलिन डालकर बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-1378 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन-1378 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1. श्री गोविन्द व्यास पुत्र श्री घनश्याम व्यास उम्र 25 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी जसुसर के बाहर बीकानेर हाल निवासी कुम्हार पाडा पटवा हवेली के पास जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) मैसर्स महालक्ष्मी आइसक्रिम मलका पोल के पास जैसलमेर 2 श्री घनश्याम व्यास पुत्र श्री गोपाल लाल व्यास उम्र 53 वर्ष जाति ब्राहमण निवासी जसुसर के बाहर बीकानेर हाल निवासी कुम्हार पाडा पटवा हवेली के पास जैसलमेर (मालिक) मैसर्स महालक्ष्मी आइसक्रिम मलका पोल के पास जैसलमेर फर्म के सबस्टेण्डर्ड स्तर का कुल्फी खाद्य पदार्थ विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01 से 02 पर 5,000/- अक्षरे पांच हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर